उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–185–पें0एवंआर0–28/पाकालि/16–10(2)–पें0एवंआर0/01,(टी0सी0–ए), दिनांक : 25 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1238–पाकालि/राविप–28–10(2)–पें0एवंआर0–28/पाकालि/01 (टी0सी0–1), दिनांक 16.05.2012 के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05 फरवरी, 2016 को सम्पन्न 122वीं बैठक में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा उसकी सहयोगी कम्पनियों की सेवाओं में समूह–'क' एवं समूह–'ख' के पदों पर पदोन्नति के प्रक्रम में विकलांगजनों को आरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या : 7/18/1/2008/का–2/2015, दिनांक 28.07.2015 (प्रतिलिपि संलग्न) में निहित व्यवस्थाओं को आवश्यक संशोधनों सहित लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. तद्नुसार अब समूह–'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियां विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से 01–01 प्रतिशत रिक्तियाँ (I) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (II) श्रवण ह्रास और (III) चलन–क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिये, उन विकलांगताओं के लिये उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी।

संलग्नक : यथोपरि

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 185–पें0एवंआर0–28/पाकालि/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन (मुख्यालय), लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश गुप्त)

संयुक्त सचिव (अरा0)

संख्या–7/18/1/2008/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 28 जुलाई, 2015

विषय- राज्याधीन लोक सेवाओं में समूह-'क' एवं समूह-'ख' के पदों पर, पदोन्नति के प्रक्रम पर, विकलांगजन को आरक्षण की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि समूह-'ग' से समूह-'ख' के पद पर विकलांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-1630(एसबी)/2013, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव कुमार जैन व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनॉक 24-09-2014 एवं उक्त के संबंध में राज्य सरकार द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-4641/2015 स्टेट ऑफ यूपी एण्ड अदर्स बनाम संजीव कुमार जैन एण्ड अदर्स में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20-03-2015 के समादर में, शासन द्वारा तदविषयक पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-18/1/2008-का-2-2008, दिनॉक 03-02-2008 के संलग्नक के प्रस्तर-1(II) को, सम्यक् विचारोपरांत निम्नानुसार प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है-

"समूह-क, ख, ग और घ के पदों पर, जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में 03 प्रतिशत रिक्तियाँ विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, जिसमें से 01-01 प्रतिशत रिक्तियाँ (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (II) श्रवण ह्रास और (III) चलन-क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन विकलांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षित होंगी।"

2 उपर्युक्त प्रतिस्थापन के फलस्वरूप उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 03-02-2008 (यथासंशोधित) के विभिन्न प्रस्तरों में, समूह-'ग' एवं समूह-'घ' के पदों पर विकलांगजनों की पदोन्नति के प्रक्रम पर, जो प्राविधान संप्रति विद्यमान हैं, वे समूह-'क' एवं 'ख' के पदों पर पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में, उक्त सीमा तक स्वतः संशोधित समझे जाएंगे।

3 कृपया शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–7 / 18 / 1 / 2008 / का-2 / 2015, तद्दिनांक 28–7–2015।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।

3 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।

4 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।

6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

7 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

8 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

9 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

10 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।

11 संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 1000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।

12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

13 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)

संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 15 सा0 नियुक्ति / कार्मिक–6–8–2015–(825)–1,000 प्रतियां (क0 / पी0 / ऑफसेट)।